Instructions to Candidates Appearing in the Stenography Test

1. The shorthand test will consist of dictation for 10 (Ten) minutes at a speed of 80 wpm.
2. The dictator will first give 2 (two) trial dictation(s) of 1 minute each as a "warming up practice" to enable the candidates to familiarize with his/her voice which will be followed by main dictation.
3. The speed test at 80 wpm will have to be transcribed in 65 minutes for English and 75 Minutes for Hindi. Maximum number of mistakes (both major/full mistake and minor/half mistake added together) permitted are limited to 10% of the total words dictated. A candidate committing more than 10% mistake in Stenography Test will be treated as 'Failed'.
4. Candidates should not leave the test hall without prior permission. Candidates shall not type, write or erase after the expiry of the allotted time.
5. Special instructions, if any, given by Invigilator(s) should be followed strictly.
6. The sheets containing the shorthand script and transcript sheet (print out) after due signature at the places marked should be handed over to the invigilator before leaving the hall.
7. The following will be considered as full mistakes:
    - Candidates are required to transcribe the entire dictated passage, words left at the end or the words not transcribed by the candidate will be counted as full mistake.
    - Every omission of a word or figure including omission of a definite or indefinite article.
    - Every substitution of a wrong word or figure.
    - Every addition of a word or figure or a group of words/figures including addition of a definite article not occurring in the passage
    - Handwritten additions/corrections/insertions.
8. The following will be considered as half mistakes:
    - Mis-spelling, including transposition of letters in a word and also omission of a letter or letters from a word.
    - Using singular for plural noun and vice versa.
    - Transposition of words/group of words in a sentence.
    - Repeating a word/figure or a group of words or group of figures in the transcript.
    - Wrong use of capital or small letters at the beginning of the sentence.
    - Omission or placement of the apostrophe in a word in the possessive case, or in contracted words.
    - Insertion of a space in the middle of a word.
    - Lack of space between words.
    - Wrong syllabification of a word at the end of line.
    - Ambiguous overtyping.
    - Complete and ambiguous overlapping.
    - Omission or wrong placement of the caret sign.
    - Arbitrary and unfamiliar abbreviations.
9. The test passage will be dictated to the candidates ONCE ONLY, in an audible and distinct voice, no word or of phrase will be repeated. While dictating the passage, punctuation mark, i.e. coma, full stops, marks of interrogation, quotation, brackets etc. will not be read.
10. Dictator will not say BIGIN before he starts reading the passage, nor will say stop at the end of the dictation. Before starting the dictation dictator will say, 'there are 15 seconds more, be ready please' and at the close of dictation dictator will remain absolutely silent.
11. Candidates have the option to transcribe the passage in Hindi/English either on Manual Typewriter Machine (Key Punching Type) or on Desktop Computer. A link is available on RRB Patna's website to submit options for Stenography Test either on Desktop Computer or on Manual Typewriter.
12. The candidates who are opting Manual Typewriter for transcription of passage have to bring their own Hindi/English typewriter Machine (key punching type) alongwith them for the Stenography Test. Arranging of manual typewriter machine for the test will be the sole responsibility of the candidates. If typewriter brought by the candidate develops any snag or fails during the test, no extra time or alternate arrangement whatsoever shall be made by RRB. The typewriter will not be provided by RRB under any circumstances. Electronic typewriter machines will not be allowed. However, Candidates who opt for Desktop Computer for transcription of passage, Desktop Computer will be provided by RRB Patna & Key Board layout will be Remington (GAIL) for Hindi and with Font Kruti Dev 10. The duration of dictation of Passage in Hindi/English will be of 10 minutes @80w.p.m & time allowed for transcription of passage will be 75 minutes for Hindi and 65 minutes for English passage.
13. **A.** Editing tools in the computer will be disabled in the test environment. Following keys will be disabled:

    (a) Escape Key, (b) All function Keys (F1 to F12), (c) TAB, (d) Windows Key (Left & Right), (e) Ctrl Key (Left & Right), (f) Backspace, (g) Insert, (h) Delete, (i) Home, (j) End, (k) Page Up, (l) Page Down and (m) Num Pad keys(1, 2, 3,4, 7,8,9,0,/,*,-,+, Enter,.)

    B. Additionally, the following features will also be disabled/inaccessible:-

    (i) Menu bar in Internet Explorer will not be accessible, (ii) Internet Explorer window will not be allowed to be closed and (iii) Internet Explorer navigation buttons will be disabled.
14. RRB/Patna will arrange computers for Transcription of passage to all the candidates who opted to transcribe the passage on computer. In case candidates who do not opt either to transcribe on Desktop computer or on Manual Typewriter Machine, it will be presumed that he/she will transcribe on desktop computer only. Candidate has to login through entering his/her Roll Number in the system. After Transcription test, the typed matter will be taken as print out in duplicate. The candidate has to sign on each sheet in the print out of the typed matter.
15. **Visually Challenged candidates have to bring BRAILLE stenography machine, if required by them for taking dictation.**
16. Please note that in other matters, the terms & conditions etc. laid down in the Employment Notice shall apply mutatis mutandis.

NOTE: The call letter for Stenography test is provisional and does not give any guarantee for employment. If it is found later at any stage that you do not fulfill any of the conditions of eligibility, your candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. You are therefore advised to check carefully and satisfy yourself that you fulfill all the conditions of eligibility.

आशुलिपि जांच में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश

1. आशुलिपि जांच में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10(दस) मिनट का डिक्टेशन दिया जायेगा।
2. डिक्टेशन देने वाला मूल डिक्टेशन के पहले एक–एक मिनट के दो प्रैक्टिस डिक्टेशन के द्वारा अभ्यर्थियों को अभ्यास करायेगा ताकि अभ्यर्थी डिक्टेशन देने वाले की आवाज से परिचित हो सकें।
3. 80 शब्द प्रति मिनट स्पीड जांच के लिए हिन्दी अनुच्छेद को 75 मिनट तथा अंग्रेजी अनुच्छेद को लिए 65 मिनट में प्रतिलेख तैयार करना होगा। गलतियों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या डिक्टेशन दिये गये कुल शब्दों के 10% (दोनों बड़े/पूरे गलती और छोटे/आधे गलतियों को मिलाकर) तक सीमित होगी। आशुलिपि जांच में यदि को अभ्यर्थी 10% से अधिक गलति करता है तो उसे अनुत्तीर्ण माना जायेगा।
4. अभ्यर्थियों को बिना पूर्व अनुमति के टेस्ट हॉल(कक्ष) नहीं छोड़ना चाहिए। वे अपनी सीट पर पर तबतक बैठे रहेंगे जबतक की प्रतिलेख प्रिंट पर उनका हस्ताक्षर नहीं ले लिया जाता। निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थियों को टाइप करना, लिखना या मिटाना नहीं चाहिए।
5. वीक्षकों के द्वारा यदि कोई विशेष अनुदेश दिये जायें तो उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए।
6. कक्ष छोड़ने के पहले आशुलिपि के शीट और प्रतिलेख शीट(प्रिंट) पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर वीक्षक को सौंप देना चाहिए।
7. निम्नलिखित गलतियों को पूर्ण गलतियाँ मानी जायेगीः
   - अभ्यर्थियों को डिक्टेशन दिये गये पूरे अनुच्छेद का प्रतिलेख तैयार करना है, अंत में छोड़े गये तथा प्रतिलेख में नहीं टाइप किये गये शब्दों को पूरी गलती मानी जायेगी।
   - निश्चित या अनिश्चित उपपद(article) सहित, हर एक शब्द अथवा अंक का विलोपन।
   - हर एक गलत शब्द अथवा अंक का प्रतिस्थापन।
   - निश्चित या अनिश्चित उपपद उपपद(article) सहित, हर एक शब्द अथवा अंक अथवा शब्दों/अंको के समूह को जोड़ा जाना जो अनुच्छेद में नहीं दिया गया हो।
   - हस्तलिखित जोड़/सुधार/अन्तर्वेशन
8. निम्नलिखित गलतियों को आधी गलतियाँ मानी जायेगीः
   - किसी शब्द के अक्षरों को गलत क्रम में लगाना, किसी शब्द में अन्य अक्षर अथवा अक्षरों को उलट–पलट करने सहित और विलोपित करना भी ।
   - एकवचन के बदले बहुवचन का प्रयोग और इसके उलट प्रयोग।
   - किसी वाक्य में शब्दों/शब्दों के समूह को उलट–पलट करना।
   - प्रतिलेख में एक शब्द/अंक अथवा एक शब्दों के समूह या अंकों के समूह को दुहराना।
   - वाक्य के प्रारंभ में बड़े(कैपिटल) अथवा छोटे अक्षरों का गलत प्रयोग।
   - संक्षिप्त शब्द या सम्बन्ध वाचक शब्द में एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का विलोपन या लगाना।
   - किसी शब्द के बीच में स्पेस लगाना।
   - किन्हीं शब्दों के बीच स्पेस नहीं दिया जाना।
   - लाइन के अंत में किसी शब्द को गलत रूप से लिखना।
   - अनर्थक अधिक टाइपिंग।
   - पूर्ण और संदिग्ध अंशछादन।
   - कैरेट चिन्ह का गलत प्रयोग या विलोपन।
   - अपरिचित या मनमाना संक्षिप्त रूप का प्रयोग।
9. अभ्यर्थियों को जांच अनुच्छेद का डिक्टेशन, सुनने योग्य और सुस्पष्ट आवाज में, किसी भी शब्द या मुहावरे को बिना दुहराये, केवल एक बार दिया जाना है। अनुच्छेद को डिक्टेशन दिये जाने के दौरान विराम चिन्ह जैसे– अर्द्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्वाचक चिन्ह, कथन, कोष्ठक आदि नहीं पढ़ा जायेगा।
10. डिक्टेशन देने वाली अनुच्छेद पढ़ना शुरू करने से पहले प्रारंभ होने की उदघोषना नहीं करेगा न ही डिक्टेशन के अंत में स्टॉप कहेगा। डिक्टेशन देने वाला शुरू में '15 सेकेन्ड बाकी है, कृपया तैयार रहें' यह बोलेगा और डिक्टेशन के अंत में डिक्टेशन देने वाला बिल्कुल चुप रहेगा।
11. अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प होगा कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अनुच्छेद का प्रतिलेख मैनुअल टाइपराइटर (key punching type) या डेस्कटॉप कम्प्यूटर पर कर सकते हैं। रेल भर्ती बोर्ड, पटना के वेबसाइट(www.rrbpatna.gov.in) पर आशुलिपि जांच डेस्कटॉप कम्प्यूटर या मैनुअल टाइपराइटर चुने जाने का विकल्प देने हेतु लिंक उपलब्ध है।
12. वैसे अभ्यर्थी जो अनुच्छेद के प्रतिलेख के लिए के लिए मैनुअल टाइपराइटर का विकल्प चुनते हैं उन्हें आशुलिपि जांच के लिए अपने साथ हिन्दी/अंग्रेजी मैनुअल टाइपराइटर (key punching type) लेकर आना होगा। जांच के लिए मैनुअल टाइपराइटर की व्यवस्था करना केवल अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि जांच के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लाये गये टाइपरातर में कोई खराबी आता है या बंद पड़ जाता है तो रेल भर्ती बोर्ड द्वारा कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। रेल भर्ती बोर्ड/पटना द्वारा किसी भी परस्थिति में टाइपराइटर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यद्यपि जो अभ्यर्थी अनुच्छेद के प्रतिलेख हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर का विकल्प देते हैं उन्हें रेल भर्ती बोर्ड, पटना द्वारा डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जायेगा और हिन्दी के लिए रेमिंगटन(गेल) की बोर्ड ले–आउट कृति देव 10 फॉट के साथ होगा। हिन्दी/अंग्रेजी अनुच्छेद के डिक्टेशन की अवधि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की होगी और इसका प्रतिलेख तैयार करने के लिए हिन्दी अनुच्छेद के लिए 75 मिनट एवं अंग्रेजी अनुच्छेद के लिए 65 मिनट का समय दिया जायेगा।
13. **(अ)** जांच के दौरान कम्प्यूटर में संशोधन टूल्स को असमर्थ कर दिया जायेगा। निम्नलिखित की(key) असमर्थ किये जायेंगेः–

    (i) स्केप की (escape key), (ii) सभी फंक्शन की (F1 से F12), (iii) टैब, (iv) विन्डो की (बायां और दायां), (v) कंट्रोल की(बायां और दायां), (vi) बैक स्पेस, (vii) इन्सर्ट (Insert), (viii) डिलीट(delete), (ix) होम (Home), (x) इंड (End), (xi) पेज अप (Page Up), (xii) पेज डाउन (Page Down), (xiii) एल्ट (Alt) (xiv) नम्बर पैड की (Num Pad Keys)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, /, *, -, +, Enter)

    (ब) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशेषता भी असमर्थ/अगम्य रहेगा :–

    (i) इंटरनेट एक्सप्लोरर का मेनू बार अगम्य(inaccessible) रहेगा, (ii) इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करने की अनुमति नहीं होगी और (ii) इंटरनेट एक्सप्लोरर का नैविगेशन बटन भी असमर्थ रहेगा।
14. रेल भर्ती बोर्ड, पटना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था करेगा जिन्होंने अनुच्छेद का प्रतिलेख तैयार करने हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर का विकल्प देते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो प्रतिलेख हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर अथवा मैनुअल टाइपराइटर मशीन का विकल्प नहीं देते हैं, उनके लिए यह मान लिया जायेगा कि उन्हें केवल डेस्कटॉप कम्प्यूटर पर ही प्रतिलेख तैयार करना है। अभ्यर्थियों को सिस्टम में अपना रौल नं. डालकर लॉग–इन करना होगा। प्रतिलेख जांच के बाद, टाइप किये विषय–सामग्री का प्रिंट आउट दो प्रतियों में लिया जायेगा। अभ्यर्थी को विषय–सामग्री के प्रिंट आउट के प्रत्येक शीट पर हस्ताक्षर करना होगा।
15. अभ्यर्थी को डिक्टेशन हेतु ब्रेल (BRAILLE) स्टेनोग्राफी मशीन लाना है, यदि कोई हो।
16. कृपया यह नोट कर लें कि अन्य मामलों में, रोजगार सूचना में दी गई शर्तें, आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगी।

नोटः आशुलिपि जांच के लिए प्रवेश पत्र औपबंधिक है और यह रोजगार की गारंटी नहीं देता है। यदि यह किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी और निरस्तीकरण के बारे में कोई अपील स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी पूर्वक जांच कर स्वयं संतुष्ट हो लें कि आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।